का प्रमाण पत्र अंक तालिका रोल नं. 2264413 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें भी अर्चना मीना पुत्री जगदीश मीना माता का नाम गुड्डी देवी अंकित है जिससे प्रार्थिया का नाम अर्चना मीना प्रमाणित होता है। अप्रार्थी सख्या 2 ने भी अपने जबाब में भी प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया है। प्रार्थिया की ओर से स्वयं का भी शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रार्थिया का नाम अर्चना मीना है किन्तु खातेदार जगदीश का देहान्त होने पर विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय प्रार्थिया का नाम करिशमा दर्ज कर दिया है जो गलत है। इस प्रकार की अशुद्धि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत दुरूस्त किया जा सकता है।

आदेश

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम उकरूंद तहसील मण्डावर की आराजी खसरा नम्बर 1030/0.49, 1038/0.34, 1054/0.62, 1057/1.34, 1058/0.13 कुल किता 5 रकबा 2.92 (2092) हैक्टयर में दर्ज खातेदार करिश्मा के स्थान पर अर्चना दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रिकार्ड में करिश्मा का नाम डिलीट किया जाकर अर्चना दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी। तहसीलदार को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01–03–2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)